


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या -901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पर्ययापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य में पड़ने वाली 4.335 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 अस्कोट का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल हेतु चयनित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग न करने का प्रमाण-पत्र


जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पर्ययापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.00 किमी0 पड़ने वाली 4.335 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्र 8.670 हे0 सिविल भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण में राजस्व विभाग पूर्ण रूप से सहमत है।

उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ड खाता संख्या 21 उत्तराखण्ड के नाम अंकित है। ओखलढुंगा सिविल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

हस्ताक्षर
राजस्व विभाग।


16


सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड को0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)


वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट


राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र 2.000.000
लोक निर्माण - धारचूला


व0 व0

हस्ताक्षर
वन विभाग।


तहसीलदार
धारचूला


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़


उप जिलाधिकारी
धारचूला